संख्या- 2038/बयालिस-2021-01(घोषणा)/2021टी0सी0।

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

जी- 861
16/12/2021

J. D.

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2021

विषय :- विभिन्न प्रतियोगिताओं/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में दिये जाने वाले अनुदान राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या- जी-335/मुख्यमंत्री जी घोषणा पत्रा0/2021-22, दिनाक 02.09.2021 एवं पत्र संख्या- जी-586/मुख्यमंत्री जी घोषणा पत्रा0/2021-22, दिनाक 15.11.2021 के संदर्भ में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-379/बयालिस-96/2/एस0पी0/10/10/90, दिनाक 06.02.1996 में उ0 प्र0 में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से अनुदान राशि में वृद्धि निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

15/12/21

शासनादेश दिनांक 06.02.1996 में उपलब्ध व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
01- अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/ विश्व चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु अनुदान:-	01- अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/विश्व चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु अनुदान :-
अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/विश्व चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु अनुदान हेतु खिलाड़ियों के रहने खाने व यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए " ए " श्रेणी के शहरों के लिए रू0 700/- प्रतिदिन प्रति	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/विश्व चैम्पियनशिप में अनुदान की राशि रू0 05.00 लाख से बढ़ाकर रू0 25.00 लाख ।

खिलाडी की दर से तथा अन्य शहरो के लिए रू0 500/- प्रतिदिन प्रति खिलाडी की दर से अधिकतम रू0 5,00,000/- की धनराशि अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि जो भी कम हो अनुदान के रूप में स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है।	
<u>02- एशियन चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु अनुदान :-</u> एशियन चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु खिलाडियों के रहने खाने व यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए " ए " श्रेणी के शहरों के लिए रू0 700/- प्रतिदिन प्रति खिलाडी की दर से तथा अन्य शहरो के लिए रू0 500/- प्रतिदिन प्रति खिलाडी की दर से अधिकतम रू0 3,00,000/- की धनराशि अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि जो भी कम हो अनुदान के रूप मे स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है।	<u>02- एशियन चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु अनुदान :-</u> एशियन चैम्पियनशिप में अनुदान की राशि रू0 03.00 लाख से बढ़ाकर रू0 15.00 लाख ।
<u>03- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु अनुदान :-</u> (क)- पुरूष वर्ग की सबजूनियर, जूनियर व सीनियर प्रत्येक वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु अधिकतम रू0 50,000/- की धनराशि जबकि ये प्रतियोगिताएं अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जायेगी। (ख)- यही प्रक्रिया महिला वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु भी अपनायी जायेगी।	<u>03- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु अनुदान :-</u> (क)- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप सब जूनियर मे अनुदान की राशि रू0 50,000/- से बढ़ाकर रू0 05.00 लाख । (ख)- जूनियर चैम्पियनशिप में अनुदान की राशि रू0 50,000/- से बढ़ाकर रू0 07.50 लाख। (ग)- सीनियर चैम्पियनशिप मे अनुदान की राशि रू0 50,000/- से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख।

(ग)- यदि पुरूष अथवा महिला वर्ग की एक से अधिक सब-जूनियर, जूनियर व सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन एक ही स्थान पर एक ही समय किया जाता है तो अधिकम रू0 75,000/- की धनराशि अनुदान के रूप मे स्वीकृत की जायेगी। (घ)- यदि पुरूष/महिला दोनों ही वर्गों की सब-जूनियर, जूनियर व सीनियर सभी तीनों चैम्पियनशिप आयोजन एक ही स्थान पर किया जाता है तो अधिकतम रू0 1,12,500/- की धनराशि अनुदान की रूप मे स्वीकृत की जायेगी। उक्त अनुदान खिलाडियो के रहने, खाने व यात्रा होने वाले व्यय के लिए " ए " श्रेणी के शहरों के लिये रू0 150/- प्रतिदिन प्रति खिलाडी की दर से व अन्य शहरो के लिए रू0 100/- प्रतिदिन प्रति खिलाडी की दर से अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।	(घ)- तीनों वर्गों की प्रतियोगिता एक साथ होने पर अनुदान की राशि रू0 1,12,500/- से बढ़ाकर रू0 15.00 लाख की गई है।
<u>04- अखिल भारतीय स्मारक प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान :-</u> अखिल भारतीय स्मारक प्रतियोगिता के आयोजन हेतु खिलाडियो के रहने, खाने व यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए रू0 150/- प्रतिदिन की धनराशि की दर से अधिकतम रू0 50,000/- की धनराशि " ए " श्रेणी के शहरो के लिये अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि जो भी कम हो तथा अन्य शहरो के लिए रू0 100/- प्रतिदिन प्रति खिलाडी	<u>04- अखिल भारतीय स्मारक प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान :-</u> अखिल भारतीय स्मारक प्रतियोगिता मे अनुदान की राशि रू0 50,000/- से बढ़ाकर रू0 01.50 लाख।

की दर से अधिकमत रू0 40,000/- की धनराशि अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि जो भी कम हो, अनुदान के रूप मे स्वीकृत की जायेगी।	
<u>05- राज्य स्तरीय स्मारक प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान :-</u> राज्य स्तरीय स्मारक प्रतियोगिता के आयोजन हेतु खिलाडियों के रहने, खाने व यात्रा पर होने वाले व्यय के लिये रू0 100/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अधिकतम रू0 15,000/- की धनराशि " ए " श्रेणी के शहरो के लिये अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि जो भी कम हो तथा अन्य शहरों के लिये रू0 75/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अधिकतम रू0 10,000/- की धनराशि अथवा वास्तविक व्यय की धनराशि जो भी कम हो, अनुदान के रूप मे स्वीकृत की जायेगी।	<u>05- राज्य स्तरीय स्मारक प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान :-</u> राज्य स्तरीय स्मारक प्रतियोगिता में अनुदान की राशि रू0 10,000/- से बढ़ाकर रू0 50,000/- ।

(1) प्रतियोगिता आयोजना पूर्व अनुदान की 25 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप मे स्वीकृत की जायेगी तथा शेष धनराशि सस्था से प्राप्त प्रतियोगिता की रिपोर्ट वास्तविक सम्परीक्षित आय-व्यय विवरण एव प्रतिदिन खिलाड़ियों के भाग लेने की सूचना के आधार पर अवमुक्त की जायेगी।

(2) इस प्रयोजन के लिए खिलाडियो के टीम के साथ जाने वाले कोच, मैनेजर रेफरी, डाक्टर एव मसाज सम्मिलित होगें।

(3) प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धन की सीमित उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्तानुसार क्रीड़ा सघों/आयोजकों को प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के सिद्धान्त पर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा और शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्धारित गाइड-लाइन्स स्वीकार करने वाले उन्हीं सघों/आयोजकों को अनुदान स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा जो निधारित अर्हतायें पूरी

करते हो तथा प्रतियोगिता के आयोजन से पूर्व निदेशक, खेल को अनुमति प्राप्त कर लिये हों।

(4) सम्बन्धित प्रतियोगिता आयोजकों को धनराशि स्वीकृत करते समय यह प्रतिबन्ध रहेगा कि आयोजन समिति में विभाग का प्रतिनिधि जो निदेशक, खेल द्वारा नामित किया जायेगा, रहेगा एवं वह शासकीय अनुदान का समुचित उपयोग करने पर ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करेगा।

(5) उपयुक्तानुसार क्रीड़ा /संघों/ आयोजकों को अनुदान स्वीकृत करने हेतु निदेशक, खेल द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने पर शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पत्रांक संख्या-ई-5-308/दस-2021, दिनांक-13 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2038(1)/बयालिस-2021-तद्‌दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 प्रयागराज ।
2- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त/क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/क्रीड़ा अधिकारी, उ0 प्र0।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं प्रकाशन को आगामी गजट में प्रकाशित करने हेतु।
6- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।